<u>न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच</u>
उपस्थित–पवन कुमार शर्मा–II, उच्चतर न्यायिक सेवा
{J. O. Code No.– UP 2735}
CNR.No.UPBH010008422026

फौजदारी निगरानी सं०–56/2026

अंकुश पुत्र अरबिन्द निवासी नई बस्ती निधिपुरवा, थाना–मुर्तिहा, जिला–बहराइच।
... ... .निगरानीकर्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल), बहराइच।
.....उत्तरदाता।

निर्णय

1– निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, न्यायालय अपर सिविल जज (प्र०खं०)/एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा मुकदमा सं०–174/2026, मुकदमा अपराध सं०–582/2025–सरकार बनाम अंकुश, थाना–मोतीपुर, जनपद–बहराइच में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–06.02.2026 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर निगरानीकर्ता का द्वितीय प्रार्थना–पत्र बावत वाहन रिलीज निरस्त कर दिया गया, से क्षुब्ध होकर यह निगरानी संस्थित की गयी है।

<u>निगरानी के आधार</u>

2– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी को निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि–

(i) निगरानीकर्ता के वाहन सं०– यू०पी० 40 सी०टी० 3244 (बैट्री रिक्शा) का पंजीकृत स्वामी है तथा उपरोक्त अं०सं० में थाना हाजा पर खुले आसमान के नीचे खड़ी खराब हो रही है निगरानीकर्ता के परिवारिक भरण–पोषण पर दुष्प्रभाव छोड़ रही है।

(ii) निगरानीकर्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष रिलीज प्रार्थना पत्र दिया जिसको निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र को बिना न्यायोचित कारण के दिनांक–30.01.2026 को खारिज कर दिया। निगरानीकर्ता ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात निगरानीकर्ता ने सुन्दर भाई अम्बार लाल देशाई बनाम गुरजरात राज्य 2002 का हवाला देकर द्वितीय रिलीज प्रार्थना–पत्र दिया जिसे दिनांक–04.02.2026 को अवर न्यायालय द्वारा सरकारी तौर पर खारिज करके विधिक त्रुटि की है।

(iii) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से शुद्ध, औचित्य पूर्ण एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्ता नश्वर सम्पत्ति को कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात पंजीकृत स्वामी के पक्ष में शर्तों के साथ रिलीज पर दिया जाना चाहिए परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.03.23 16:52:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निगरानीकर्ता का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है। निगरानीकर्ता ने इन शर्तों के साथ वाहन को अपने पक्ष में रिलीज कराने का निवेदन किया था कि स्वामित्व के विवाद होने पर निगरानीकर्ता अपने खर्चे पर वाहन को अपने खर्चे पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और वाहन में ढ़ाचागत वाहन में परिवर्तन नहीं करेगा परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रिलीज प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया इस प्रकार विधिक त्रुटि की है। निगरानीकर्ता की निगरानी अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना की है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–06.02.2026 को निरस्त किये जाने व वाहन को रिलीज किया जावे।

3– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के समर्थन में अपना शपथ–पत्र ब–4 तथा सूची कागज सं०–ब–5/1 के माध्यम से कागज सं०–ब–5/2 छायाप्रति आधार कार्ड, कागज सं०–ब–5/4 प्रमाणित प्रति आलोच्य आदेश दिनांकित–06.02.2026, कागज सं०–ब–5/6 प्रमाणित प्रति आदेश दिनांकित–30.01.2026, कागज सं०–ब–5/7 छायाप्रति पंजियन प्रमाणपत्र, कागज सं०–ब–5/8 व ब–5/9 छायाप्रति इंश्योरेंस, कागज सं०–ब–5/10 छायाप्रति ड्राइविंग लाइसेंस विजय कुमार, दाखिल किया गया है।

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

4– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थाना हाजा पर मुकदमा अपराध सं०–582/25 धारा–281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना–मोतीपुर, बहराइच में मुकदमा बनाम ऑटो चालक राज कुमार पुत्र अरबिन्द दर्ज हुआ जिसमें वाहन सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 ऑटो रिक्शा थाना हाजा पर खड़ा होना। उक्त वाहन जो पुलिस आख्या से पुष्टि हुई है तथा निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र वास्ते रिलीज किये जाने वाहन प्रस्तुत कर कथन किया है कि– प्रार्थी वाहन स्वामी यू०पी० 40 सी०टी० 3244 का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में वाहन चालक की जमानत दिनांक–22.01.2026 को हो चुकी है तथा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा थाना हाजा में खुले आसमान में खेड़–खड़े खराब हो रही है। जिससे वाहन का अवमूल्यन हो रहा है। जिससे वाहन की उपक्षोगिता घट जायेगी इस लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित सुन्दर भाई अम्बालाल बनाम गुजरात राज्य SLP No. 2745/2002 के निर्णय के अनुसार पंजीकृत स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी वाहन रिलीज होने के पश्चात किसी प्रकार से कोई रंग आदि में परिवर्तन नहीं करेगा, विक्रय नहीं करेगा तथा स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद होने पर प्रार्थी वाहन स्वामी अपने खर्चे पर न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त वाहन को पंजीकृत स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र पर विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–06.02.2026 को निगरानीकर्ता का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी संस्थित की गयी है।

5– मैने, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता– उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, सम्बन्धित थाने की आख्या का तथा आलोच्य आदेश दिनाँकित–06.02.2026 का सम्यक अवलोकन किया।

6– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया है कि निगरानीकर्ता वाहन सं०– यू०पी० 40 सी०टी० 3244 (बैट्री रिक्शा) का पंजीकृत स्वामी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से शुद्ध, औचित्य पूर्ण एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्ता नश्वर सम्पत्ति को कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात पंजीकृत स्वामी के पक्ष में शर्तों के साथ रिलीज पर दिया जाना चाहिए परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है।

7– विधि के प्रावधानों पर यदि विचार किया जाये तो **धारा–438 बी०एन०एस०एस० (धारा–397 द०प्र०स० निरसित)** के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय को, अवर न्यायालय द्वारा पारित किसी दण्डादेश या आदेश की **शुद्धता, वैधता या औचित्य** के बारे में तथा किन्हीं **कार्यवाहियों की नियमितता** के बारे में विचार करना होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा–482 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है। नियमितता तथा विचारण न्यायालय की प्रक्रिया पर विचार करना होता है। यही सिद्धान्त **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमित कपूर बनाम रमेशचन्द, (2012) 9 S.C.C. 460** के प्रकरण में प्रतिपादित किया है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि धारा–397 एवं धारा–401 दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकारी बहुत सीमित है। निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर परर साक्ष्य का विश्लेषण/मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन की शक्तियां प्राप्त नहीं है, अपितु निगरानी न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय के आदेश की वैधानिकता, औचित्यता तथा नियमितता के संबंध में संतुष्टि करनी होती है।

8– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने **नत्थू व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य,(2016)1 जे०आई०सी० 326 इलाहाबाद** की विधि व्यवस्था में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– "पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए,जब तक कि अवर न्यायालय के आदेश में विधि सम्बन्धी कोई गम्भीर अवैधता या अनियमितता दर्शित न हो।" इसी प्रकार **केरल राज्य बनाम पुतूमन्ना इल्ला जथावेदन नाम्बूदरी आदि ए०आई० आर० 1999 एस०सी० 981** में प्रकट अभिमत के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि–"पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन तब तक नहीं किया जा सकता,जब तक कि सम्बन्धित अवर न्यायालय द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कमी न हो।"

9– प्रस्तुत निगरानी में यह देखा जाना है कि, क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य

आदेश दिनांकित–06.02.2026 विधि सम्मत है अथवा नहीं?

10– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांकित–06.02.2026 में निम्न निष्कर्ष देते हुए निगरानीकर्ता का रिलीज प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया।

> "प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०–582/2025 अन्तर्गत धारा–281, 125 ए 125 बी बी०एन०एस० थाना–मोतीपुर, जनपद–बहराइच के प्रकरण से सम्बन्धित वाहन सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वाहन सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक–30.01.2026 को गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत द्वितीय रिलीज प्रार्थना–पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।"

11– मामले में विद्वान विचारण न्यायालय में थाना हाजा से यह आख्या आयी है कि, मु०अ०सं० 582/25 धारा 281/125(a)/125(b) बी०एन०एस० थाना मोतीपुर, बहराइच बनाम ऑटो चालक राज कुमार पुत्र अरविन्द नि० नई बस्ती थाना मूर्तिहा जनपद बहराइच, वादी मुकदमा गंगाविशुन मौर्य पुत्र बाबूलाल निवासी मोहनपुर माफी थाना पयागपुर जनपद बहराइच के प्रार्थना पत्र वावत घटना दिनांक 03/12/2025 को ऑटो चालक राज कुमार द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक गाडी चलाते हुए हसुलिया बैरियर के पास नागा बाबा मन्दिर के पास उसके लड़के अरविन्द पुत्र गंगाविशुन मौर्य निवासी मोहनपुर माफी थाना पयागपुर जनपद बहराइच जो कि अपने ससुराल मधवापुर मूर्तिहा में आये थे कि अपनी सास हीरामोती को लेकर मिहीपुरवा बाजार करने मोटरसाइकिल नं0 UP40V4670 से जा रहे थे को टक्कर मार देना जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गये जिन्हे सीएचसी मोतीपुर मिंहीपुरवा इलाज हेतु भर्ती कराया गया फिर वहा से बहराइच रेफर कर दिया गया। के संबन्ध में दिनांक 16.12.2025 को पंजीकृत हुआ दौराने इलाज मजरूब अरविन्द कुमार उपरोक्त की दिनांक 22.12.2025 को मृत्यु हो गयी विवेचना क्रम मे साक्ष्य संकलन से एक्सीडेन्ट की घटना कारित करने वाले बाहन ऑटो रिक्सा रजि नं0 UP40CT3244 के नामित चालक राजकुमार पुत्र अरविन्द के बजाय विजय कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी बेझा थाना मूर्तिहा जनपद बहराइच का नाम प्रकाश मे आया जिसके पंजीकृत वाहन स्वामी अंकुश पुत्र अरविन्द निवासी नईबस्ती थाना मूर्तिहा जनपद बहराइच द्वारा भी लिखित रूप में दिया गया तथा ऑटो रिक्सा पर सवार लोगो व गवाहो द्वारा भी बताया गया कि <u>घटना दिनांक 03.12.2025 को ऑटो रिक्शा चालक विजय कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी बेझा थाना मूर्तिहा जनपद बहराइच द्वारा चलाया जा रहा था का नाम प्रकाश मे आया है।</u> मुकदमा उक्त से सम्बन्धित एक्सीडेन्ट की घटना कारित करने वाले वाहन ऑटो रिक्शा रजि०नं० UP40CT3244 बरामद हुआ जिसे मुकदमा उपरोक्त मे दाखिल किया गया जो थाना परिसर मे खडी है तथा मजरूब मृतक की मोटरसाइकिल का क्षतिग्रस्त होना

पाया गया उक्त वाहनो का टेक्निकल परीक्षण कराया गया कि टेक्निकल परीक्षण रिपोर्ट व मोटरसाइकिल चालक अरविन्द कुमार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से धारा 106 (1)/324(2) बीएनएस का अपराध पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 106(1)/324(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी प्रकाश मे आये चालक विजय कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी बेझा थाना मूर्तिहा जनपद बहराइच का बयान मु0अ0सं0 582/25 धारा 281/ 106(1)/ 324(2)/ 125(a)/125(b) बीएनएस मे अंकित किया गया तथा नोटिस धारा 35(3) बीएनएसएस तामील कराया गया। विवेचना प्रचलित है। विवेचना क्रम मे उक्त वाहन ऑटो रिक्सा रजि नं0 UP40CT3244 का नियमानुसार टेक्निकल परिक्षण व आरसी का सत्यापन कराया गया जिसकी प्रमाणति संलग्न है। तथा चालक के डीएल की प्रति संलग्न है। अतः निवेदन है कि एक्सीडेन्ट की घटना कारित करने वाले बाहन ऑटो रिक्सा रजिनं0 UP40CT3244 व प्रकाश मे चालक विजय कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी बेझा थाना मूर्तिहा जनपद बहराइच के सम्बन्ध मे आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है। विवेचना प्रचलित है।

12– विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता सम्बन्धित वाहन का पंजीकृत स्वामी है। थाना हाजा से प्रस्तुत आख्या में यह भी तथ्य आया है कि संबंधित वाहन को चालक विजय कुमार चला रहा था जिसका ड्राइविंग लाइसेन्स विचारण न्यायालय पर दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–30.01.2026 से निगरानीकर्ता का प्रार्थना–पत्र "आवेदक द्वारा घटना के समय वाहन चालक विजय कुमार पुत्र गया प्रसाद का ड्राइविंग लाइसेन्स प्रस्तुत नहीं किया गया है इसी आधार पर रिलीज प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया। पुनः प्रार्थना–पत्र वास्ते रिलीज वाहन सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 के सम्बन्ध में दिये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश में यह आधार कि पूर्व में वाहन सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 के अवमुक्त का प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक–30.01.2026 को गुण दोष के आधार पर खारिज किया जा चुका है। द्वितीय प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है।

उल्लेखनीय है कि दाण्डिक मामले में पूर्वन्याय (Res–Judicata) का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। यह सिद्धान्त केवल सिविल मामलों में प्रयोज्य है।

13– निगरानीकर्ता के द्वारा रिलीज प्रार्थना–पत्र दिनांक–04.02.2026 के साथ सूची सूची के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस चालक विजय कुमार चालक दाखिल किया गया जो दिनांक–20.03.2024 से 19.03.2034 से वैद्य है, जो घटना की दिनांक–03.12.2025 को चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैद्य था। पत्रावली पर सम्बन्धित वाहन का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति दाखिल की गयी है तथा निगरानी के स्तर पर पुनः पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर०सी०) बावत वाहन सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 जो अंकुश कुमार पुत्र अरबिन्द के नाम पंजीकृत है तथा उक्त वाहन का बीमा जो दीनांक–28.10.2025 से 27.10.2026 तक वैद्य है, की छायाप्रति दाखिल की है। अतः नियम–203 (ख)(2) उत्तर प्रदेश मोटरयान (ग्यारहवा संसोधन) नियमावली, 2011 के प्रावधान

"किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त किसी यान को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा नियम, 203 के उपनियम (1) से (3) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है और यथास्थित यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र, मार्ग परमिट उपयुक्तता प्रमाणपत्र की सम्यक रूप से सत्यापित प्रतियों और दर्घटना के समय वाहन चलाने वाले चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है", का सारत अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रामाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेन्स प्रस्तुत किया गया है। मार्ग पर्मिट ऑटो–रिक्शा के सम्बन्ध में जारी नहीं होता है। इसलिए मार्ग पर्मिट की शर्त ऑटो–रिक्शा पर लागू नहीं होती है। वाहन से सम्बन्धित अपराध सं०–582/2025– सरकार बनाम विजय कुमार धारा–281, 106(1), 324(2), 125(ए), 125(बी) बी०एन०एस० थाना मोतीपुर में विचारण न्यायालय द्वारा वाहन चालक विजय कुमार की जमानत दिनांक–22.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। वाहन थाना हाजा पर खड़े होने के सम्बन्ध में पुलिस आख्या थाना हाजा से दिनांक–19.01.2026 को प्रस्तुत की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सुन्दर भाई अम्बालाल देशाई बनाम गुजरात राज्य, AIR 2003 SC 638 में यह व्यवस्था दी गयी है कि–

> "In our view, whatever be the situation, it is of no use to keep such–seized vehicles at the police stations for a long period. It is for the Magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bond and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if required at any point of time... .."

14– उपरोक्त विवेचना व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयज विधि **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (उपरोक्त)** के विधिक निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/निगरानीकर्ता अंकुश के पक्ष में वाहन ऑटो रिक्शा सं०–यू०पी० 40 सी०टी० 3244 अवमुक्त किये जाने का युक्तियुक्त आधार विद्यमान पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में आवेदक के पक्ष में वाहन अवमुक्त किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है तथा न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का सही से प्रयोग न करते हुए अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा उपरोक्त विधि व्यवस्थओं **अमित कपूर बनाम रमेशचन्द (उपरोक्त), केरल राज्य बनाम पुतूमन्ना इल्ला जथावेदन नाम्बूदरी आदि (उपरोक्त), नत्थू एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) एवं सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (उपरोक्त)** के आलोक में यह न्यायालय इस मत का है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

पारित प्रश्नगत आदेश में अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रतीत हो रही है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांकित–06.02.2026 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। निगरानी में बल है और स्वीकार किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–56/2026– अंकुश बनाम सरकार उत्तर प्रदेश स्वीकार की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा सं०–174/2026, मुकदमा अपराध सं०–582/2025–सरकार बनाम अंकुश, थाना–मोतीपुर, जनपद–बहराइच, में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–06.02.2026 निरस्त किया जाता है।

विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के आलोक में पुनः शीघ्र सुनवाई कर विधि अनुकूल आदेश पारित करें। निगरानीकर्ता को आदेशित किया जाता है कि दिनांक–25.03.2026 को विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बहराइच।

दिनाँकः23.03.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उद्घोषित किया गया।

(पवन कुमार शर्मा–II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बहराइच।

दिनाँकः23.03.2026